

131

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश शासन, ग्वालियर (म.प्र.) कैम्प भोपाल
प्रकरण क्र.

1. अहमद सईद, आयु 70 वर्ष
पुत्र श्री हसन खॉ, जाति मुसलमान,
धंधा खेती, निवासी- ग्राम मलनियों,
तहसील लटेरी, जिला विदिशा (म.प्र.)
2. इल्यास खॉ, आयु 25 वर्ष
3. आमिर खॉ, आयु 19 वर्ष,
पुत्रगण स्व. श्री गफफार खॉ, जाति मुसलमान,
निवासीगण- मलनियों, तहसील लटेरी,
जिला विदिशा (म.प्र.)
4. आसमा बी, आयु लगभग 30 वर्ष,
पुत्री स्व. श्री गफफार खॉ, पत्नी श्री मुश्ताक खॉ,
जाति मुसलमान, निवासी- ग्राम रुसल्लीसाहू,
तहसील लटेरी, जिला विदिशा (म.प्र.)
5. शहनाज बी, आयु लगभग 18 वर्ष,
पुत्री स्व. श्री गफफार खॉ, पत्नी श्री आदिल खॉ,
जाति मुसलमान, निवासी- ग्राम मलनियों,
तहसील लटेरी, जिला विदिशा (म.प्र.)
6. सारिया बी, आयु लगभग 53 वर्ष,
पत्नी स्व. श्री गफफार खॉ, जाति मुसलमान,
निवासी- ग्राम मलनियों, तहसील लटेरी,
जिला विदिशा (म.प्र.)

R-1915-98413

अहमद सईद का
पुत्र हसन खॉ का
अपराध विरोध 20.5.90
गफफार खॉ के पास

17/11/13
14/5
अधीक्षक
कार्यालय ललितपुर
भोपाल सभाग.

Camp Bhopal
Mohan
24/6/13
14/5

विरुद्ध

..... आवेदकगण

1. गफफार खां, आयु लगभग 51 वर्ष,
पुत्र श्री दिलदार खॉ, जाति मुसलमान,
निवासी- ग्राम मलनियों, तहसील लटेरी,
जिला विदिशा (म.प्र.)
2. गोविंद प्रसाद, आयु लगभग 66 वर्ष,
पुत्र श्री नर्बदा प्रसाद, जाति सक्सेना,
निवासी- लटेरी, जय स्तंभ चौराहे के पास,
तहसील लटेरी, जिला विदिशा (म.प्र.)

..... अनावेदकगण

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959


आवेदकगण न्यायालय श्रीमान कलेक्टर महोदय, विदिशा द्वारा प्रकरण क्र. 38/87-88/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 23.05.90 से असंतुष्ट होकर यह निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष निम्न तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत कर रहे हैं :-

17/11/13

R/S

2

R-1915-PR/13 (फॉर्म)



15-9-16

आवेदक कवि-श्री राजेश
श्री उपाधिव। आकाश क 1 की
को ले श्री प्रेम सिंह वाफू कवि
उपाधिव। आकाश क 2 पूर्व ले.
रक पक्षी म ली कमरे के मंगल
आने हेतु कड़ी शान्त पर जारी
किताब जारी

14-10-16

संलग्न

ओपाळ कुंभ

पुनः आवेदक कवि-श्री राजेश

14110



R
2/12

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. R 1915-PB413 जिला सि. उ. थाना

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|------------------|--|--|
| | <p>उपरोक्त उद्योगों के लिए सि. उ. थाना के लिए पहल प्रकृष्ट को आगे चलाना नहीं पाएंगे। आपेडक 31 की कोर्ट में भी प्रेषित होना कठिन उपरोक्त उद्योगों को आपत्ती नहीं है। आपेडक कोर्ट का सि. उ. थाना कोर्ट द्वारा प्रकृष्ट कोर्ट में प्रेषित होने पर सि. उ. थाना कोर्ट में प्रेषित होना कठिन होगा।</p> <p style="text-align: right;">[Signature]</p> | <p>[Signature]</p> <p>आपत्ती-पत्रिका</p> <p>[Signature]</p> <p>15.1.16</p> |

R 1915